HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Criminal Appeal No. 387/2025

Om Singh S/o Late Devi Singh, Resident of Bhatto Ki Gali, Via Johata, District Jaipur

----Complainant-Appellant

Versus

1. State of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

2. Raju Singh S/o Chaju Singh, Resident of Bhatto Ki Gali, Police Station Chomu, District Jaipur
3. Sintu Singh S/o Babusingh, Resident of Bhatto Ki Gali, Police Station Chomu, District Jaipur

----Accused-Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Mahesh Gupta, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Naresh Kumar Gupta, PP

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL
HON'BLE MR. JUSTICE BHUWAN GOYAL
Judgment

22/04/2026

(PER HON'BLE BHUWAN GOYAL, J.)

1. अपीलार्थी (परिवादी) ओम सिंह द्वारा हस्तगत अपील अंतर्गत धारा 413 बीएनएसएस के तहत विद्वान विचारण न्यायालय– अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 05/2017 (सी.आई.एस नंबर–17/2019), उनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम राजू सिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 01–08–2025, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण राजू सिंह व सिन्टू सिंह को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि परिवादी ओम सिंह (पी.ड.–5) द्वारा एक तहरीरी रिपोर्ट (प्रदर्श पी.–4) पुलिस थाना चौमू, जयपुर पश्चिम के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की गई कि दिनांक

06—11—2011 को गोपाल सिंह की दो लडकियों की शादी थी, किसी ने पुलिस में नाबालिग लड़कियों की शादी की सूचना पुलिस थाना चौमू में दे दी, जब से ही गोपाल सिंह एवं उनके भाई बाबूसिंह, प्रहलाद सिंह, राजू सिंह उसके परिवार को गाली—गलौच करने लगे एवं बदला लेने की धमकियां देने लगे, इससे पूर्व में उनके और हमारे जमीन का विवाद चल रहा है। दिनांक 21—11—2011 को शाम 7.00 बजे के लगभग में उसके पिताजी देवी सिंह गांव में शादी में खाना खाकर अपने घर पर जा रहे थे, जिनके पीछे—पीछे राजू सिंह व सिन्टू सिंह जा रहे थे, रास्ते में बिना मुंडेर का खूला कुआं था, रास्ता उसी के पास से गुजरता है, उसके पिताजी देवी सिंह उस कुएं के रास्ते के पास से गुजरे तो पीछे से राजू सिंह व सिन्टू सिंह ने अचानक घसीट कर कुएं में धकेल कर गिरा दिया। पीछे से सुमेर सिंह भी अपने खेत पर जा रहा था, उसने देख लिया एवं हल्ला मचा दिया, कुएं में पानी भरा हुआ था, हल्ला सुनकर गांव वाले एवं परिवार वाले दौडकर आये एवं पुलिस को सूचना दी, थोडी ही देर में पुलिस पहुंच गई एवं गांव वालों की मदद से उसके पिताजी को बाहर निकाला, तब तक उसके पिताजी का दम टूट चुका था..........इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चौमू में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—568/2011, अन्तर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान मामला अदम वकु आमदन झूठ का पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम—25, जयपुर महानगर (मुख्यालय चौमू) में प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत कर अपने समर्थन में गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये, जिस पर न्यायालय अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम—22, जयपुर महानगर (मुख्यालय चौमू) द्वारा बहस प्रसंज्ञान सुनने के बाद धारा 302 भा.दं.सं. में प्रसंज्ञान लिया जाकर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से, हस्तगत प्रकरण सुनवाई हेतु विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या—10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमू को कमिट किया गया।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने तत्पश्चात् बहस चार्ज सुनकर, अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. में दण्डनीय अपराध का आरोप पृथक–पृथक विरचित कर सुनाया व समझाया तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाहान पी.ड.–1 लगायत पी.ड.–10 के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं मौखिक साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–22 पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने गवाहान की साक्ष्य को गलत होना बताते हुए उनके विरुद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज करवाना कथन किया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य में गवाह डी.ड.–1 बजरंग सिंह शेखावत के बयान लेखबद्ध करवाये जाकर, दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेजात प्रदर्श डी.–1/1 लगायत प्रदर्श डी.–17 प्रदर्शित करवाये गये।

6. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तत्पश्चात उभयपक्षों को सुना जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 01–08–2025 द्वारा अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी (परिवादी) द्वारा प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को उन पर आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर, दण्डित करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी (परिवादी) का कथन है कि प्रस्तुत मामले में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से, प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा मृतक देवी सिंह को घसीटकर कुएं में डालना एवं चिकित्सकीय साक्षीगण के कथनों से उसकी मृत्यु, कुएं में डुबने से होना पूर्णतया प्रमाणित हुआ है, किन्तु विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का, सुक्ष्मता एवं गहनता से विवेचन किए बिना, आलौच्य आदेश दिनांक 01–08–2025 पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील, अपीलार्थी (परिवादी) ग्रहणार्थ स्वीकार करते हुए प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण को तलब कर उन्हें आरोपित अपराध में दोषसिद्ध कर, दण्डित किया जावे।

8. विद्वान लोक अभियोजक ने दौराने बहस उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

9. बहस ग्रहणार्थ सुनी जाकर अपीलीय पत्रावली का मय अभिलेख सम्मानपूर्वक अवलोकन कर उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

> हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष का यह केस रहा है कि दिनांक 21–11–2011 को शाम 7 बजे या उसके लगभग ग्राम भट्टों की गली, थाना–चौमूं में प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण ने देवीसिंह की हत्या करने के आशय से, उसे बिना मुंडेर के कुएं में डालकर, उसकी मृत्यु कारित की !

10. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त अभियोजन कहानी के संदर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड.–7 डॉ0 संगीत चौधरी ने अपने बयानों में यह कथन किया है कि दिनांक 22–11–2011 को वह सीएचसी, चौमूं में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, उस दिन मेडिकल बोर्ड, जिसका वह सदस्य था, ने देवीसिंह के शव का परीक्षण किया था। मृतक का शरीर सुडौल होकर राइगर मोर्टिस पूरे शरीर पर उपस्थित थी, उसके दाएं पांव पर कुचला हुआ घाव 01 $^{1}/_{4}$ X 01 $^{1}/_{4}$ साइज का उपस्थित था। हिस्टोपॉथोलॉजिकल रिपोर्ट दिनांक 02–01–2012 के अनुसार उसके दोनों फेफड़ों में सूजन एवं कंजेशन पाया गया, एफएसएल रिपोर्ट में किसी प्रकार का मैटेलिक पॉईजन, ईथाइल एवं मिथाइल एल्कोहल, साइनाइड, एल्केलॉइडिस, बार्बीचूरेट्स, ट्रंकूलाइजर्स तथा इन्सेकटिसाईड्स का होना नहीं पाया गया, जिससे उसकी राय में फेंफडों में पानी जाने से एवं उनमें इन्फलेमेशन एवं कंजेशन होने के कारण, उसकी श्वास रुकने से उसकी मृत्यु होना था। गवाह पी.ड.–10 डॉ0 के.एन. शर्मा ने भी अपने बयानों में दिनांक 22–11–2011 को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में देवीसिंह के शरीर का पोस्टमार्टम करना एवं बोर्ड की राय में मृतक की मृत्यु का कारण, प्रोबेबली पानी में डूबने से होना था। प्रकरण में उक्त साक्षीगण के कथनों के खण्डनार्थ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई है, जिससे मृतक देवी सिंह की मृत्यु उसके फेंफड़ों में पानी जाने से उसके फेंफड़ों में

इन्फलेमेशन एवं कंजेशन होने के कारण, श्वास रुकने से होना प्रमाणित होने से उसकी मृत्यु प्राकृतिक होना प्रमाणित नहीं होता है।

11. हस्तगत प्रकरण में अब हमें यह देखना है कि क्या प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा मृतक देवीसिंह को सआशय कुएं में डालकर उसकी मृत्यु कारित की गई थी। इस संदर्भ में ओमसिंह द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–4 में उसने देवीसिंह को प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा घसीटकर कुएं में डालना एवं घटना को, सुमेर सिंह द्वारा देखना अंकित किया गया है, किंतु प्रकरण में, मृतक देवीसिंह को, घसीटकर कुएं में डालने बाबत् तथ्य की पुष्टि, नक्शामौका प्रदर्श पी–3 से नहीं हो पाई है, क्योंकि नक्शामौका में घटनास्थल पर, घसीटने के निशान होना अंकित नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में साक्षी पी.ड.–1 सुमेर सिंह की साक्ष्य पर विचार करें तो, उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसका दिनांक 21–11–2011 को भीमसिंह की लड़की की शादी होने से उसमें देवीसिंह, ओमसिंह, मोहनसिंह के साथ जाना, राजू सिंह व सिन्टू सिंह का वहां उपस्थित होना, शादी में शामिल होकर शाम 6:30 व 7:00 बजे के बीच, घर जाते वक्त देवीसिंह के पीछे राजूसिंह व सिन्टू सिंह का चलना एवं उन दोनों के पीछे 10–15 फीट की दूरी पर उसका चलना एवं देवीसिंह के कुएं के पास पहुंचने पर, राजूसिंह व सिन्टू सिंह द्वारा देवीसिंह को जबरदस्ती पकड़कर कुएं में धकेल देना, उसके चिल्लाने पर गांव वालों का एवं मोहनसिंह, ओमसिंह, गोपाल का वहां आना एवं मोहनसिंह द्वारा पुलिस को फोन करने पर, पुलिस का वहां आना, पुलिस द्वारा उनकी मदद से देवीसिंह को कुएं से निकालकर सरकारी अस्पताल, चौमूं भेजना कथन किया गया है, किंतु गवाह के वक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थित होकर घटना देखने बाबत् कथन विश्वसनीय होना प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि गवाह डी.ड.–1 बजरंग सिंह शेखावत जो कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी रहा है, वह अपनी मुख्य परीक्षा में, उसके अनुसंधान में, गवाह सुमेर सिंह का वक्त घटना, घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होना कथन करता है, इस संदर्भ में यह

महत्वपूर्ण है कि विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उक्त गवाह से इस संदर्भ में कोई प्रतिपरीक्षा भी नहीं की गई है।

12. हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह सुमेर सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में पुलिस बयान प्रदर्श डी–1/1 का ए से बी भाग *''मैंने खाना खाया उस वक्त पहले से ही श्री देवीसिंह जी मौजूद थे, वह शादी में खाना खाकर घर चला गया ''* एवं ई से एफ भाग *''फिर मैंने मोहन सिंह को फोन किया और बताया कि बाबोसा को कुएं में डाल दिया है, फिर वह गांव वाले घर पर चला गया, वहां पर मकानों के ताले लगे मिले, वह वापस घर से चिल्लाता हुआ वापस कुएं के पास आया तो वहीं पास में पंडित जी श्री गोपाल प्रसाद शर्मा मिले। ''* को सही होना स्वीकार किया है, जिससे उसके शाम को शादी में से लौटते वक्त उक्त घटना देखने की बात संदेह से परे सिद्ध नहीं होने से उसके घटना देखने बाबत् कथन की विश्वसनीयता युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पी.ड.–2 कानसिंह ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में उसके कुएं पर जाने पर वहां मोहनसिंह का ही चिल्लाते हुए मिलना कथन किया है, उसने कुएं पर उस वक्त सुमेर सिंह के उपस्थित होने के संदर्भ में कोई कथन नहीं किया है।

13. हस्तगत प्रकरण में इसी प्रकार गवाह सुमेर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मृतक देवीसिंह को उसके द्वारा छह–सात बजे के मध्य प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कुएं में गिराते देखना कथन किया है। गवाह पी.ड.–2 कानसिंह ने दिनांक 21–11–2011 को शाम 6–7 बजे कुएं के नजदीक जाने पर, उसे मोहनसिंह का चिल्लाते हुए मिलना एवं उसके द्वारा टॉर्च से कुएं में देखने पर उसे देवीसिंह का पानी में तैरता हुआ नजर आना कथन किया है। गवाह पी.ड.–6 मोहनसिंह ने अपने बयानों में शाम 6–6:30 बजे उसके पिता को राजू सिंह व सिन्टू सिंह द्वारा जबरदस्ती उठाकर कुएं में डालना एवं उसके द्वारा टॉर्च से कुएं में देखने पर, उसके पिता को तड़फड़ाते देखना एवं उसके पिता को जब कुएं से बाहर निकाला, तब उसके पिता देवीसिंह की सांसें रुक चुकी होना कथन किया है, जिससे मृतक देवीसिंह के साथ, लगभग

शाम 7 बजे के आसपास घटना होना एवं उसके थोड़ी देर बाद ही उसे गवाह कानसिंह एवं मोहनसिंह द्वारा कुएं में तैरते एवं तड़फड़ाते हुए देखना एवं कुएं से बाहर निकालने पर उसकी सांस रुकी हुई मिलना प्रकट होता है, किंतु गवाहान के प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा मृतक देवीसिंह को शाम 7 बजे के आसपास कुएं में गिराने बाबत् कथनों की पुष्टि, गवाह पी.ड.–7 डॉ0 संगीत चौधरी एवं गवाह पी.ड.–10 डॉ0 के.एन. शर्मा, जिनके द्वारा मृतक देवीसिंह के शव का परीक्षण किया गया है, उनके कथनों से नहीं होती है, क्योंकि गवाह पी.ड.–7 डॉ0 संगीत चौधरी अपनी प्रतिपरीक्षा में राइगर मॉर्टिस का 6–7 घंटे की अवधि के बाद उत्पन्न होना एवं उक्त अवधि के बाद से ही बॉडी के ऊपर उछाल आना, शुरु होना कथन करता है, गवाह पी.ड.–10 डॉ0 के.एन. शर्मा भी अपनी प्रतिपरीक्षा में मृत्यु के 6–7 घंटे बाद बॉडी का पानी के ऊपर आना कथन करता है, यदि चिकित्सकीय साक्षीगण के कथनों को सही माना जावे तो मृतक का शाम 7 बजे से लगभग पांच–छह घंटे पूर्व कुएं में गिरना प्रकट होता है, जिससे गवाह सुमेर सिंह के कथन, उसके द्वारा मृतक देवीसिंह को शाम 7 बजे के लगभग कुएं में गिराते देखा गया था की पुष्टि नहीं हो पाती है।

14. हस्तगत प्रकरण में यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में घटना नवंबर माह में शाम 7 बजे के आसपास की होना बताया गया है। गवाह सुमेर सिंह ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में नवंबर माह के शाम सात बजे अंधेरा होना एवं अंधेरे में रास्ता दिखाई नहीं देने से उसका टॉर्च साथ लेकर जाना स्वीकार किया है। गवाह पी.ड.–5 ओम सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कुएं के आसपास किसी खम्भे पर लाइट नहीं होना एवं प्रदर्श पी–3 में खेतों में मकान या बिजली के खम्भे दर्शित नहीं होना स्वीकार किया है, जिससे वक्त घटना, घटनास्थल पर लाइट नहीं होने से, अंधेरा होना प्रकट होता है, जिससे भी गवाहान द्वारा मृतक देवीसिंह को प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा कुएं में गिराते देखने की बात हस्तगत प्रकरण में युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

15. हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में घटना के तुरंत बाद पुलिस का मौके पर आकर, मृतक को कुएं से निकालना एवं उस

समय वहां परिवादी ओमसिंह एवं मोहनसिंह का मौजूद होना बताया गया है, किंतु परिवादी पक्ष द्वारा, पुलिस के घटनास्थल पर आने के उपरांत भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है, बल्कि उनके द्वारा घटना के अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, प्रकरण में उसे देरी से दर्ज कराने का कोई यथोचित कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि घटना के संबंध में पुलिस को जो सर्वप्रथम सूचना दी गई है, उसमें भी मात्र देवीसिंह के कुएं में गिरने की सूचना दी गई है, उसमें उसे, प्रत्यर्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा घसीटकर कुएं में डालने बाबत् जानकारी नहीं दी गई है, जिससे परिवादी पक्ष के आचरण से भी, घटना की सत्यता व विश्वसनीयता के प्रति गहरा संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में किसी पुत्र के सामने, उसके पिता के साथ कोई घटना घटित होने पर वह, ना केवल पुलिस को सूचना देते वक्त घटना की सम्पूर्ण जानकारी देता है, बल्कि घटनास्थल पर, पुलिस के आने पर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करता है, वह घटनास्थल से घर नहीं जाता है।

16. हस्तगत प्रकरण में यद्यपि गवाह पी.ड.–6 मोहनसिंह द्वारा भी यद्यपि अपने बयानों में उसके द्वारा भी घटना देखना कथन किया है, किन्तु उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना देखने वालों के रूप में दर्ज नहीं है एवं स्वयं गवाह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रदर्श डी–11 का ए से बी भाग ''*करीब 6:45 पीएम पर उसके मोबाइल नंबर 9828560470 पर सुमेर सिंह पुत्र कानसिंह ने अपने मोबाइल नंबर 9782711198 पर बताया कि तेरे पिताजी को राजू सिंह व सिन्टू सिंह ने पितला कुएं में डाल दिया है।* '' सही होना स्वीकार किया है, जिससे उसके स्वयं के कथनों से उसके द्वारा घटना देखने की बात संदेह से परे सिद्ध नहीं हो पाती है।

17. हस्तगत प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह डी.ड.–1 बजरंग सिंह शेखावत ने अपनी मुख्य परीक्षा में उसके अनुसंधान से, देवीसिंह की मृत्यु अपने आप फिसलकर गिरने से होना पाया जाना कथन किया है। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि जिस कुएं में मृतक देवीसिंह का

गिरना बताया गया है, उसका भी बिना मुंडेर का होकर, सड़क से लगता होना बताया गया है। गवाह बजरंग सिंह शेखावत ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान के दौरान यह सामने आया था कि पूर्व में कुएं का जमीन के बराबर होने व कोई मुंडेर नहीं होने के कारण पूर्व में भी मवेशी व अन्य लोगों का फिसलकर गिरना पाया था।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Babu Sahebagouda Rudragoudar Vs. State of Karnataka reported in [(2024) 8 SCC 149]** में यह अभिनिर्धारित किया है कि**:-**

> "38. Further, in H.D. Sundara v. State of Karnataka, (2023) 9 SCC 581 this Court summarised the principles governing the exercise of appellate jurisdiction while dealing with an appeal against acquittal under Section 378 Cr.PC as follows:
>
> > "8. xxx xxx xxx
> >
> > 8.1. The acquittal of the accused further strengthens the presumption of innocence;
> >
> > 8.2. The appellate court, while hearing an appeal against acquittal, is entitled to re-appreciate the oral and documentary evidence;
> >
> > 8.3. The appellate court, while deciding an appeal against acquittal, after re-appreciating the evidence, is required to consider whether the view taken by the trial court is a possible view which could have been taken on the basis of the evidence on record;
> >
> > 8.4. If the view taken is a possible view, the appellate court cannot overturn the order of acquittal on the ground that another view was also possible; and
> >
> > 8.5. The appellate court can interfere with the order of acquittal only if it comes to a finding that the only conclusion which can be recorded on the basis of the evidence on record was that the guilt of the accused was proved beyond a reasonable doubt and no other conclusion was possible."

39. Thus, it is beyond the pale of doubt that the scope of interference by an appellate court for reversing the judgment of acquittal recorded by the trial court in favour of the accused has to be exercised within the four corners of the following principles:

(a) That the judgment of acquittal suffers from patent perversity;

(b) That the same is based on a misreading/omission to consider material evidence on record; and

(c) That no two reasonable views are possible and only the view consistent with the guilt of the accused is possible from the evidence available on record.”

19. ऐसे में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 01–08–2025 में कोई विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है एवं वह पुष्टि किये जाने योग्य है एवं अपील, अपीलार्थी (परिवादी) खारिज किए जाने योग्य है।

20. परिणामतः अपीलार्थी (परिवादी) के द्वारा प्रस्तुत यह अपील एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या–10, जयपुर महानगर द्वितीय, मुख्यालय चौमू द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 05/2017 (सी.आई.एस नंबर–17/2019), उनवानी प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम राजू सिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 01–08–2025 की पुष्टि की जाती है।

21. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली के साथ विद्वान विचारण न्यायालय को भिजवाई जावे।

(BHUWAN GOYAL),J **(MAHENDAR KUMAR GOYAL),J**

RAHUL KUMAR KHANDELWAL /2